संख्या–1/3/96 – का–4– 2004

प्रेषक,

भुइयाँदीन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग–4, लखनऊ : दिनॉक : जुलाई 27 ,2004

विषय:– सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि शासन द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनॉक 03 जून,2004 के प्रस्तर–8 के नीचे एक उप प्रस्तर–(5)निम्नवत् जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है:–

8(5)– विकलांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारजन विकलांगता से प्रभावित हों, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय । ऐसे विकलांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जॉय । विकलांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किये जाने पर, पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है ।

2. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(भुइयाँदीन)
विशेष सचिव ।

संख्या–1/3/96(1)–का–4–2004, तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल जी ।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी ।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण ।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(भुइयाँदीन)
विशेष सचिव ।